निश्चित समय में सज़ा पर अमल जरूरी

अनूप भटनागर

निर्भया कांड के दोषियों को फांसी देने की तारीख मुकर्रर होने के बावजूद अभी भी कहना मुश्किल है कि इन मुजरिमों को तय तिथि पर सज़ा मिल ही जायेगी। चूंकि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीवन के अधिकार को सबसे ऊंचे पायदान पर रखा गया है, इसलिए मौत की सज़ा के मामले में दोषी को फांसी के फंदे से बचने के लिए सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करने का अवसर मिलता है।

मगर यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इस प्रक्रिया में मौत की सज़ा के फैसले पर अमल में विलंब नहीं हो क्योंकि अत्यधिक विलंब भी मौत की सज़ा को आजीवन कारावास की सज़ा में तब्दील करने का मार्ग उपलब्ध कराता है। निर्भया कांड की दिल दहलाने वाली वारदात दिसंबर, 2012 में हुयी थी और अब तक सात साल बीत चुके हैं। इसके बाद इस तरह के अपराध के लिए कानून में कठोरतम सज़ा का प्रावधान कर दिया गया लेकिन ऐसे अपराधों में अभी तक कमी नहीं आयी है।

कारगर अंकुश के लिए ऐसी घटनाओं से संबंधित कानूनी कार्यवाही के लिए एक तर्कसंगत समय-सीमा निर्धारित हो ताकि इन मुकदमों पर फैसला समय से आ सके। यही नहीं, अगर निचली अदालत अपराधियों को मौत की सज़ा सुनाती है तो ऐसे फैसले की उच्च न्यायालय से पुष्टि करने की प्रक्रिया और फिर उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने से संबंधित सारे विकल्पों के लिए भी समय-सीमा निर्धारित होना जरूरी है। सरकार अगर वास्तव में यौन अपराध करने वाले वहशियों को कठोरतम सज़ा देने के प्रति गंभीर है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह के अपराधियों की सज़ा पर अमल के मामले में विलंब नहीं हो।

संसद भवन आतंकी हमले की घटना में दोषी मोहम्मद अफजल, मुंबई में हुये बम विस्फोटों की वारदातों के सिलसिले में याकूब मेमन और मुंबई में आतंकी हमले के दोषी पाकिस्तानी अजमल कसाब की मौत की सज़ा पर अमल से पहले तमाम मानवाधिकार प्रेमियों के प्रयासों को शायद ही कोई भूला हो। याकूब मेमन के मामले में तो उसकी फांसी की सज़ा पर अमल से चंद घंटे पहले मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने देर रात उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

किसी अपराधी को अदालत से मिली मौत की सज़ा पर अमल का मुद्दा चूंकि सीधे-सीधे संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है, इसलिए फांसी देने में अनावश्यक विलंब के आरोपों से बचने के लिए सरकार और प्रशासन को आतंकी देविन्दर सिंह भुल्लर के मामले में भी उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मानकों को ध्यान में रखना होगा। अदालत द्वारा निर्भया के अपराधियों को मृत्यु होने तक फांसी पर लटकाने का फरमान जारी किये जाने के बाद कम से कम दो अपराधियों ने एक बार फिर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इन्होंने उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका दायर की है। इन याचिकाओं पर आज न्यायालय विचार करेगा।

दोषी विनय कुमार ने निर्भया मामले में उसकी मौत की सज़ा बरकरार रखने के मई, 2017 के फैसले को कानून की नजर में त्रुटिपूर्ण बताते हुये दलील दी है कि उसकी पुनर्विचार याचिका खारिज करते समय न्यायालय ने दोषी के सुधरने की संभावनाओं पर विचार ही नहीं किया। यही नहीं, दोषी ने इस तथ्य की ओर भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है कि मई, 2017 के इस फैसले के बाद इसी तरह के कम से कम 17 मामलों में तीन न्यायाधीशों की पीठ दोषियों की मौत की सज़ा को उम्रकैद में बदल चुकी है। न्यायालय अगर अपने फैसले में किसी प्रकार के सुधार के लिए दायर याचिका अस्वीकार कर देता है तो भी इन मुजरिमों के पास संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास और अनुच्छेद 161 के तहत राज्य के राज्यपाल के पास दया याचिका दायर करने का विकल्प उपलब्ध है। फिलहाल तो यह देखना है कि क्या 22 जनवरी से पहले ये मुजरिम सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर पायेंगे और क्या अंत में राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका, अगर दायर हुयी, का निपटारा निश्चित समय के भीतर हो सकेगा।

निर्भया मामले में हालांकि मुजरिमों की मौत की सज़ा पर अमल में विलंब, चाहे यह कानूनी दांवपेंचों का ही नतीजा क्यों न हो, को लेकर जनता में आक्रोश है। इसके लिए सरकार को कानूनी प्रावधानों और संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के अधिकार को सर्वोच्च पायदान पर रखे जाने की वजह से मौत की सज़ा के मामले में वकीलों द्वारा अंतिम समय तक किये जाने वाले प्रयासों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

संपादकीय

असरदार किरदार और किरदार की इज्जत

एक इश्तिहार में अजय देवगन तानाजी बने औरंगजेब के किले को ध्वस्त कर रहे हैं, मराठा साम्राज्य के भगवे झंडे को स्थापित कर रहे हैं।

दूसरे ही इश्तिहार में तानाजी उर्फ अजय देवगन किसी दवाई के साथ दिख रहे हैं, जिसका इस्तेमाल बॉडी को फिट बनाने, बॉडी का वजन मनचाहे तरीके से बढ़ाने के लिए होता है।

तानाजी कोई बनियान बेचते हुए भी दिखते हैं किसी इश्तिहार में। तानाजी पान-मसाला बेचते हुए भी दिखते हैं, मुझे डर है कि किसी फिल्म में राणा प्रताप कहीं यह न कहने लगें-यह वाला पान-मसाला खाकर ही युद्ध के लिए जाना चाहिए।

बहुत संभव है तानाजी किसी इश्तिहार में अपनी मजबूत मसल का राज भी बता रहे हों। तानाजी किसी शराब के ब्रांड से जुड़े इश्तिहार में दिख रहे हैं। क्या-क्या देखना पड़ेगा। तानाजी किला फतह करें, यह तो समझ में आता है। पर तानाजी पान-मसाला बेचें, यह तो कतई हृदयद्रावक घटना है। हाय-हाय यही देखना बचा है क्या।

अगर अजय देवगन तानाजी बन रहे हैं, तो कुछ वक्त के लिए पान-मसाले और बनियान के इश्तिहारों से मुक्त हो जायें। रामलीलाओं में तमाम पात्रों की भूमिका कर रहे अभिनेताओं से उम्मीद रहती है कि वह कम से कम रामलीला के दौरान बहुत शुद्ध पवित्र जीवन जीयेंगे। रावण बने सज्जन भले ही यह सब कर लें, पर सीताजी बनी महिला या बालिका से उम्मीद रहती है कि बहन रामलीला के दौरान शुचिता का पालन करेगी। अपनी इज्जत का ख्याल कोई चाहे जितना करे, पर उस किरदार की इज्जत का ख्याल जरूरी है, जो कोई निभा रहा है।

अमिताभ बच्चन अब कुछ भी बेच लें, कोई दिक्कत नहीं है। फिल्मों में अब वह बहुत टॉप लीड भूमिकाओं में नहीं आते। एक जमाने में वह फिल्मों में डॉन, शायर वगैरह बनते थे। कभी-कभी फिल्म में वह ऐसे शायर बने थे, जो बाद में उद्योगपति हो गये थे। शायरी से काम नहीं चलता, यह बात अब से चार दशक पहले आयी फिल्म में से भी साफ हुआ था।

अमिताभ बच्चन शायर से उद्योगपति बन गये, कभी-कभी फिल्म में। बाद में अमिताभ बच्चन कभी डॉन बने, कभी जुआरी बने। डान, जुआरी, शायर को कुछ भी बेचने का हक है। डॉन चरस न बेचकर बनियान बेचे तो देश का भला ही कर रहा होता है। जुआरी जुआ न खेलकर पान-मसाले या शराब का सेल काउंटर लगा ले, तो भी कुछ न कुछ ठोस आर्थिक गतिविधि ही कर रहा होता है। और शायर तो यूं भी कुछ भी बेचने का हकदार हो जाता है कि शायरी की कमाई में घर न चलता। पर तानाजी होकर पान-मसाला बेचना। अजय देवगन को सोचना चाहिए।

सू- दोकू क्र.011

	3		7				2	1
2				9		4		
	7		1				5	
		1		5		2		7
	5				4			
		4		1		8		5
					1			
1		5		3		9		
	2		6		5		1	

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गो का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक भर सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र.10 का हल

8	9	5	1	6	3	2	4	7
3	2	1	9	7	4	8	6	5
4	7	6	2	5	8	3	9	1
7	6	9	5	2	1	4	3	8
1	8	3	4	9	7	6	5	2
2	5	4	8	3	6	1	7	9
5	3	8	7	4	2	9	1	6
6	1	7	3	8	9	5	2	4
9	4	2	6	1	5	7	8	3

गांधी से मिला था किंग को अहिंसा का हथियार

विवेक शुक्ला

अगर मार्टिन लूथर किंग ने गांधी के जीवन दर्शन और अहिंसा के सिद्धांत को न जाना होता तो क्या वे अश्वेतों के अधिकारों को लेकर इतने प्रतिबद्ध होते। अश्वेतों के गांधी कहे जाने वाले मार्टिन लूथर किंग के 28 अगस्त, 1963 को दिए ऐतिहासिक भाषण को न केवल अमेरिका, बल्कि पूरी दुनिया स्मरण कर रही है, तब इस बात को माना जा सकता है कि अगर उनके जीवन में गांधी न आते तो वे शायद अहिंसा को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सशक्त हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं करते। मार्टिन लूथर किंग पर महात्मा गांधी के अहिंसावाद का गहरा प्रभाव था।

मार्टिन लूथर किंग के ओजस्वी भाषण ने अमेरिकी नागरिक अधिकारों की लड़ाई को एक ऐतिहासिक लम्हा बना दिया। 16 मिनट के उनके भाषण ने अमेरिका की अंतरात्मा को जगा दिया, जिसने अपनी आजादी की घोषणा में कहा था-सारे इनसानों को एक बराबर रचा गया है। मार्टिन लूथर किंग वर्ष 1959 में भारत आए थे। उस यात्रा ने उनके जीवन की दिशा को बिल्कुल बदल दिया था। बंबई में उतरने के अगले दिन वे दिल्ली आ गए थे। यहां पर वे राजघाट और गांधी स्मृति भी गए। भारत आने के बाद उन्होंने गांधीवादी दर्शन का गहरा अध्ययन किया। गांधी को लेकर उनकी दिलचस्पी इस आधार पर बढ़ी कि एक इनसान जो अश्वेत नहीं था, उसने अश्वेतों के हकों के लिए इतनी लंबी लड़ाई क्यों लड़ी। दरअसल, गांधी के इसी पक्ष के चलते किंग उन्हें जानने को लेकर इतने गंभीर हुए। नेल्सन मंडेला और बराक ओबामा भी इसी वजह से गांधी को अपने नायक के रूप देखते हैं।किंग, उनकी पत्नी कोरेट्टा और किंग के जीवनीकार लॉरेंस रेड्डिक लगभग एक महीने के लिए भारत आए। वे 9 फरवरी, 1959 को बम्बई में उतरे और अगले दिन दिल्ली पहुंच गए। एक तरह से कहा जा सकता है कि इस घटना की पृष्ठभूमि बरसों पहले तैयार हो चुकी थी जब अटलांटा, जॉर्जिया के कॉलेज के किशोर छात्र मार्टिन ने अपने टीचर बेंजामिन एलाया मेज़ के मार्गदर्शन में पहली बार गांधी का लिखा साहित्य पढ़ा। मेज़ भारत की यात्रा से बहुत से अफ्रीकी-अमेरिकियों की तरह गांधी के शिष्य के रूप में लौटे थे। किंग के जीवन पर उनका बड़ा प्रभाव रहा। किंग ने लिखा है कि भारत यात्रा पर निकलते हुए उनके कुछ मित्रों ने कहा था कि मेरी असली परख तब होगी जब गांधी को करीब से जानने वाले लोग मुझे देखेंगे। किंग ने भारत यात्रा के दौरान हजारों लोगों से बातें की, लोगों ने उनसे ऑटोग्राफ लिए, गांव में गरीब के झोपड़े से लेकर महलों तक में उनका स्वागत हुआ।

दरअसल जनवरी, 1959 में वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने उन्हें भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। उसे स्वीकार करते वक्त किंग ने कहा था-मैं बाकी देशों में तो टूरिस्ट की तरह से जाता हूं, पर मैं भारत को तीर्थस्थल मानता हूं। इसी नाते मैं वहां पर जा रहा हूं। आकाशवाणी से अपने एक उद्बोधन में किंग ने कहा था कि गांधी के प्रेम और अहिंसा के सिद्धांत पर चले बिना दुनिया बर्बाद हो जाएगी। भारत से वापस लौटने के बाद उन्होंने इब्नॉय मैगजीन में लिखा था-मैं आम हिन्दुस्तानी की देश-दुनिया की जानकारी के स्तर बहुत प्रभावित हूं। उन्हें अमेरिका की जितनी जानकारी है, उतनी अमेरिकियों को भारत की नहीं होगी। भारत से वापस लौटने के बाद मेरा यकीन पक्का हो गया है कि अश्वेतों को उनके अधिकारों को दिलाने के लिए अहिंसा के अलावा कोई दूसरा हथियार नहीं हो सकता।

किंग की यात्रा की व्यवस्था गांधी नेशनल मेमोरियल और द अमेरिकन फ्रेंड्स सर्विस कमेटी ने मिलकर की थी। भारत सरकार उनकी मेजबान नहीं थी लेकिन पंडित नेहरू ने उन्हें भोज पर निमंत्रित किया। नेहरू के साथ रात्रिभोज के दौरान बिताए चार घंटों के दौरान भी किंग ने उनसे गांधी के अहिंसा के रास्ते को और करीब से जानने की चेष्टा की। भारत में बड़े पैमाने पर गरीबी को देखकर किंग चौंके थे। नई दिल्ली में 9 मार्च को अपनी अंतिम पत्रकार वार्ता में उन्होंने भारत का आह्वान किया कि वह निरस्त्रीकरण करके संसार के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करे।